

**श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय.स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या
18/3/1089 का उत्तर प्रतिवेदन।**

क्र० सं०	अतारांकित प्रश्न सं०-18/3/1089	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत माँझा प्रखण्ड में सारण मुख्य नहर (मड़वा टोला) से निकलने वाली विशुनपुर वितरणी नहर जो पुरैना, देवापुर, सोनबरसा, बतरदेह होते हुए सिधवलिया सिवान तक जाती है पर बने सर्विस रोड का कालीकरण नहीं होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि :- विशुनपुर वितरणी सारण मुख्य नहर के कि०मी० 36.89 (बायाँ) से निःसृत है जो, पुरैना, देवापुर सोनबरसा, बतरदेह होकर गुजरती है। इसकी कुल लम्बाई 21.60 कि०मी० है। इस नहर के दाँयें बांध को सेवापथ के रूप में उपयोग किया जाता है। सेवा पथ के पास टोला/बसावट के नजदीक पंचायत/स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कतिपय स्थानों पर इट्टीकरण (ब्रीक सोलिंग) किया हुआ है, परन्तु अधिकांश भाग कच्चा है। वर्तमान में सेवा पथ के कालीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखण्ड के विशुनपुर वितरणी देवापुर से कोटवाँ लघु नहर जो कोटवाँ तक जाती है पर बने कच्ची सर्विस रोड के कालीकरण नहीं होने से बरसात में लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है।	कोटवा लघु नहर विशुनपुर वितरणी के कि०मी० 2.34 से निःसृत है, जो देवापुर से कोटवा तक जाती है। इसका सेवा पथ कच्चा है जिसका उपयोग नहर निरीक्षण में किया जाता है। वर्तमान में सेवा पथ के कालीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त नहरों पर बने सर्विस रोड का कब तक कालीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पक्कीकरण/कालीकरण का कार्य पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है।

P.T.O

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-201/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये प्राप्त अतारांकित प्रश्न सं0-18/3/1089 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-201/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-201/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

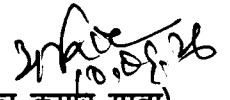
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(सि0)-05-201/2026-

4065

पटना, दिनांक-10/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव


10.09.26